भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2136**
दिनांक 4 जुलाई , 2019 / 13 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा शुल्क में वृद्धि

2136. श्रीमती साजदा अहमद:
श्री एस॰ सी॰ उदासी:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री कोडिकुन्निल सुरेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार का देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों संबंधी विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने यात्रियों पर इस वृद्धि के अनुमानित प्रभावों का आकलन किया है;
(ग) क्या दिल्ली विमानपत्तन पर हाल ही में सीआईएसएफ द्वारा सोने के तस्कर पकड़े गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार/दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमाननपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल) पर सीआईएसएफ की धनराशि बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या विमानपत्तन ऑपरेटर एकत्र किए गए शुल्क का विवेकपूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति अपनाई गई है;
(च) क्या वर्ष 2001 से यात्री सेवा शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं और वित्तपोषण अंतराल को भरने के लिए शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) यद्यपि सुरक्षा करने की लागत में वृद्धि की गई है, लेकिन यात्रियों से एकत्र किया गया कर इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश में विमानन सुरक्षा के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी हां, दिनांक 1 जुलाई,2019 से प्रति आरोहणकर्ता अंतर्देशीय घरेलू यात्री 150/- रूपए (पूर्व में 130/- रुपए) तथा प्रति आरोहणकर्ता अंतरराष्ट्रीय यात्री 4.85 अमरीकी डॉलर (पूर्व में 3.25 अमरीकी डॉलर) की दर से विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) में संवर्धन किया गया है। यह संवर्धन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की लागत में कमी को पूरा करने के लिए किया गया है।
(ख): चूंकि विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) में वृद्धि आंशिक है, इसलिए इससे यात्रियों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ग): जी हां, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने वर्ष 2019 में दिल्ली हवाईअड्डे पर सोने की तस्करी के 08 मामले पकड़े हैं।
(घ): जी हां। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (डायल) का यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा घटक) [पीएसएफ(एससी)] एकत्रण में कमी के कारण दिनांक 31.08.2018 को सीआईएसएफ की तैनाती पर लगने वाले खर्च पर 549.49 करोड़ रूपए का बकाया देय है।
(ड.): मंत्रालय ने विभिन्न आदेश/परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा एकत्र की गई पीएसएफ (एससी) निधियों से किए जाने वाले व्ययों हेतु विशिष्ट वस्तुओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। हवाईअड्डा प्रचालकों के पीएसएफ (एससी) खातों का नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।
(च) तथा (छ):जी हां। पीएसएफ (एससी), जो अब विमानन सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) है, में वर्ष 2001 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दिनांक 31.12.2018 को पीएसएफ (एससी) एकत्रण और इससे किए गए व्यय में 730.91 करोड़ रूपए की कमी हुई थी। इसलिए, संवर्धित सुरक्षा तैनाती अपेक्षाओं और हवाईअड्डों पर सुरक्षा की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वित्तीयन अंतर को कम करने के लिए विमानान सुरक्षा शुल्क में वृद्धि की गई है।
इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया था और इस कमी के आधार पर दरों में वृद्धि की गई है। सम्पूर्ण एकत्रित राशि को एकल खाते में पूल करने का भी निर्णय लिया गया है।